न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0), रामसनेहीघाट, न्यायालय सं0–14, बाराबंकी।

मूलवाद संख्या–230/1999

CNR No. UPBB180000021999

शारदा प्रसाद सिंह बनाम रामसागर आदि।

20.05.2025

पत्रावली आज वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र ग–6 प्रस्तुत हुई, जिस पर पूर्व में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र ग–6 अन्तर्गत आदेश–39 नियम–1 जाब्ता दीवानी

उपरोक्त प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में वादी द्वारा मुख्यतः यह कथन किया गया है कि वादी के ग्राम सुखीपुर, परगना सूर्यपुर, तहसील रामसनेहीघाट, जिला बाराबंकी में स्थित आबादी भू–खण्ड जो प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न स्थल चित्र में लाल रंग से तथा अक्षर क,ख,ग,घ से दर्शित है, पर जमींदारी विनाश के पूर्व से शपथकर्ता के पूर्वजों का हाता रहा है जिसमें शपथकर्ता के पूर्वज अपने खेती का सामान रखते व पशुओं को उक्त भूखण्ड पर बनी नांदो में चारा खिलाते और बांधते तथा खेती का सामान चारा–भूसा, पुयाल, लॉक और अन्य सम्बंधित वस्तुएं ढेर करते थे। जमींदारी विनाश के समय भी उपर्युक्त हाता वादी के पिता के एकमेव एवं अनन्य स्वामित्व एवं आधिपत्य में था और उक्त हाता तथा उसकी भूमि पर वादी के पिता श्री रघुराज सिंह उपर्युक्त खेती तथा पशुपालन से सम्बंधित कार्यों को करते रहे इस कारण जमींदारी विनाश के पश्चात् श्री रघुराज सिंह उक्त हाता एवं उसकी भूमि के अनन्य स्वामी एवं अधिकारी हो गये वादी के पिता आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व देहान्त हो गया तब से वादी उपर्युक्त हाता एवं उसकी भूमि पर एकमेव तथा अनन्य स्वामी एवं अधिकारी के नाते आधिपत्य में चला आ रहा है। वादी की आर्थिक स्थिति कुछ बिगड़ जाने के कारण आज से लगभग 13 वर्ष पूर्व उपर्युक्त हाता गिर कर मैदान हो या तब से वादी उपर्युक्त हाता की भूमि पर कृषि एवं पशुपालन से सम्बंधित उपर्युक्त विभिन्न कार्यों को करता हुआ एकमेव तथा अनन्य आधिपत्य में चला आ रहा है। प्रतिवादीजन उपर्युक्त हाता एवं उसकी भूमि से कभी कुछ भी सम्बंध एवं प्रयोजन नहीं रहा है और न कुछ इस समय है। प्रतिवादीजन अत्यंत सरहंग एवं उद्दण्ड व्यक्ति है इस कारण वादी के उपर्युक्त भूखण्ड पर अपना अनाधिकार आधिपत्य करके वादी को हानि पहुंचाने पर तुले हुए हैं और इसी दुर्भावना से प्रतिवादीजन गत दिनांक 07.07.1999 को अपराह्न लगभग 4 बजे उक्त भूखण्ड पर आये और उक्त भूखण्ड पर खूंटा गाड़कर अपनी भैंस बांधने का प्रयास किया जिससे वादी के तथा आस–पास के अन्य लोगों के तुरन्त मौके पर पहुंच जाने से नहीं कर सके

तब प्रतिवादीजन ने धमकी दी कि वह शीघ्र ही अन्य लोगों को बुलाकर जबरदस्ती उपर्युक्त भूखण्ड पर कमरा बनाकर और दीवारों से घेर कर अपना आधिपत्य कायम कर लेंगे जिससे वादी को उपर्युक्त वाद संस्थित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। उपर्युक्त हाता की भूमि (विवादित भूखण्ड) में वादी का प्रथम दृष्टया आगम पूर्णतया सिद्ध है और सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में है तथा यदि तुरन्त प्रतिवादीजन को रोका न गया तो प्रतिवादीजन उपर्युक्त वादी की लम्बितावस्था में ही उपर्युक्त अनाधिकार आधिपत्य करने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे जिससे वादी को अधिसूचना दिये ही एकपक्षीय रूप में उपर्युक्त निषेधाज्ञा सम्बंधी एक अन्तरिम आदेश भी पारित करके प्रतिवादीजन को उपर्युक्त भूखण्ड में कुछ भी निर्माण अथवा किसी अन्य प्रकार से कोई हस्तक्षेप करने से रोक देना अत्यंत आवश्यक है।

प्रतिवादीजन की ओर से आपत्ति ग–20 प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र गलत व निराधार तथ्यों पर आधारित है। नक्शा नजरी संलग्न प्रार्थना पत्र गलत अपूर्ण और खिलाफ मौका है। विवादित भूमि प्रतिवादीजन की पुश्तैनी जायदाद है जिससे वादी का कोई वास्ता व सरोकार हक व कब्जा न कभी रहा है और न है। विवादित भूमि चूंकि मकान वादी के सामने पड़ती है इसलिये वादी बदनियती एवं लालचवश अपने सहन में मिला लेना चाहता है और सरहंगी की बिना पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना चाहता है। विवादित भूमि पर पहले पूर्वज प्रतिवादीजन का पुराना कुंआ रहा है जो पट चुका है जिसकी खुदाई करने पर आज भी निशान मिल सकते हैं। दिनांक 13.09.1999 को वादी ने एक सुलहनामा किया था जिसके अनुसार विवादित भूमि के पश्चिम स्थित रास्ते के बाद वादी ने अपनी दीवार बना ली है और प्रतिवादीजन ने विवादित भूमि पर अपनी घेरे की दीवारें बनाकर घेर लिया है। चूंकि/प्रतिवादीजन विवादित भूमि के मालिक काबिज है और वादी की सहमति से निर्माण कार्य कर भी चुके हैं इसलिये किसी प्रकार के स्थगना का कोई सवाल पैदा नहीं होता है क्योंकि विवादित भूमि के किसी भाग पर वादी का कब्जा दखल नहीं है। दिनांक 13.09.1999 को वादी और प्रतिवादीजन के बीच हुए सुलह की लिखी–पढ़ी भी दिनांक 14.09.1999 को गवाहान के समक्ष हुई थी जिस पर बिना किसी जोर दबाव के स्वेच्छापूर्वक वादी ने हस्ताक्षर किया था। विवादित भूमि पर कभी तामीरात नहीं रही। पूर्वज प्रतिवादीजन बादहू प्रतिवादीजन उसे सहन के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं और करते हैं। विवादित भूमि पर प्रतिवादीजन का घूर लगाना, कन्डे पाथना, सामान धरना–उठाना आदि इस्तेमाल बराबर रहा है और है। वादी का कोई प्राइमा फेसाई केस नहीं है और सुविधा का सन्तुलन भी प्रतिवादीजन के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र वादी हर तौर पर खारिज होने योग्य है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र वादी खारिज फरमाया जावे।

वादी/प्रार्थी द्वारा रिजॉइंडर शपथ पत्र ग–40 में प्रतिवादीजन की आपत्तियों का

मुख्यतः खण्डन करते हुए यह दोहराया गया है कि प्रार्थी उक्त वाद की परिस्थिति से लगातार प्रभावित हो रहे हैं और वाद में पारित आदेशों को अन्य मुकदमें में लाभ वादी व प्रतिवदीजन लेने के प्रयास में बार–बार लगाकर प्रार्थी के विरूद्ध लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा भानुप्रताप सिंह के पक्ष में श्रीमती कलावती उर्फ राम मूर्ति की वसीयत के आधार पर भी स्व० कलावती की सम्पत्ति में तथा प्रभावित वर्तमान वाद की विषयवस्तु में प्रार्ती को पक्षकार बनाया जाना ही न्यायोचित एवं न्याय संगत होगा। वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों में तथा श्रीमती कलावती द्वारा की गयी अन्तिम वसीयत को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी वाद में आवश्यक पक्षकार है। प्रार्थी को हानि पहुंचाने की गरज से वादी व प्रतिवादीजन आपस में साज करके वर्तमान वाद में स्व० रामसागर सिंह की एक पत्नी कलावती उर्फ राममूर्ति को दो अलग–अलग स्त्रियों के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार न्यायालय के समक्ष धोखा–धड़ी की जा रही है। स्व० रामसागर की एकमात्र पत्नी श्रीमती कलावती उर्फ राममूर्ति थी तता जो कायम मुकामी श्रीमान न्यायालय के समक्ष की गयी है वह तथ्यों व प्रलेखों को छिपाकर धोखाधड़ी से की गयी है। उक्त आदेश का अनुचित लाभ राजस्व न्यायालय में उठाये जाने का अनुचित प्रयास लगातार हो रहा है जिसके प्रलेख पत्रावली पर उपलब्ध हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बिल्कुल सही तथ्यों पर आधारित है तथा उक्त वाद के पक्षकारों की धोखाधड़ी उक्त प्रार्थना पत्र से श्रीमान न्यायालय के समक्ष आ रही है। विवादित सम्पत्ति या स्थल रामसागर सिंह द्वारा छोड़ी गयी किसी भी अन्य सम्पत्ति से वादी या प्रतिवादी का कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहा है और न है। वादी का प्रार्थना पत्र हर हाल में स्वीकार किये जाने योग्य है।

वादी ने अपने कथन के समर्थन में सूची ग–107 से वसीयतनामा दिनांकित 31.01.2008 की छायाप्रति, ग–117 छायाप्रति शपथ पत्र, छायाप्रति शपथ पत्र ग–119/1 ता 119/2, निर्णय छायाप्रति ग–120/1 ता ग–120/2, प्रमाणित प्रतिलिपि दावा ग–121/1 ता ग–121/5 तथा सूची ग–125 से दावा छायाप्रति ग–126/1 ता ग–126/4, नकल छायाप्रति बयान ग–127/1 ता ग–127/4, छायाप्रति खतौनी ग–128 तथा सूची ग–162 से ग–163/1 ता ग–163/5 नकल वसीयतनामा दिनांकित 26.06.2008 तथा ग–193 आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि ग–194/1 ता ग–194/2 दाखिल किये हैं।

प्रतिवादीजन ने अपने कथन के समर्थन में सूची ग–24 से मूल सुलहनामा ग–25, सूची ग–375 से ग्रामीण आवासीय अभिलेख ग–376 तथा सूची ग–37 से छायाप्रति सुलहनामा दिनांकित 14.09.1999 ग–38/1 तथा 38/2 व नक्शा नजरी ग–38/3, बयान ग–38/4 ता ग–38/6 तथा ग–158 से छायाप्रति वसीयतनामा ग–159/1 ता ग–159/3 दाखिल किये हैं।

उभय पक्षों के तर्कों को पूर्व में सुना जा चुका है तथा पत्रावली का सम्यक्

अवलोकन किया।

अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र ग–6 के संबंध में न्यायालय को निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक होता है, जिस पर विचार किया गया–

1. प्रथम दृष्टया वाद
2. सुविधा का सन्तुलन
3. अपूरणीय क्षति

<u>प्रथम दृष्टया वाद</u>

सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि क्या वादी का मामला प्रथम दृष्टया वाद बनता है या नहीं?

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ***Yogesh Agarwal vs Sri Rajendra Goyel And Another*** **2014 (3) ARC 427** में अवधारित किया है कि–

> *"The first rule is that the applicant must make out a prima facie case in support of the right claimed by him and the court must be satisfied that there is a bonafide dispute raised by the applicant, and there is a strong case for trial which needs investigation and a decision on merits and on the facts before the court there is a probability of the applicant being entitled to the relief claimed by him.…The courts should not examine the merits of the case closely at that stage or try to restore a conflict of evidence nor decide complicated question of fact and law which call for detailed arguments and mature considerations. They are matters to be dealt with at trial. The grant or refusal of temporary injunction is not a mini trial.*
>
> *In deciding a prima facie case, the court is to be guided by the plaintiff's case as revealed in the plaint, affidavits or other materials produced by him. Explaining the ambit and scope of the connotation "prima facie' case, in* ***Martin Burn Limited Versus R.N. Banerjee*** **[1958 SCR 514]**, *the Supreme Court observed as follows:-*
>
> *"A prima facie case does not mean a case proved to the hilt but a case which can be said to be established if the evidence which is led in support of the same were believed. While determining whether a prima facie case had been made out the relevant consideration is whether on the evidence led it was possible to arrive at the conclusion in question and not whether that was the only conclusion which could be arrived at on that evidence…. It has*

only got to consider whether the view taken is a possible view on the evidence on the record."

न्यायालय उपरोक्त वर्णित सिद्धांत का सम्मान करता है।

इस सम्बंध में वादी द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि वादी के ग्राम सुखीपुर, परगना सूर्यपुर, तहसील रामसनेहीघाट, जिला बाराबंकी में स्थित आबादी भू–खण्ड जो प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न स्थल चित्र में लाल रंग से तथा अक्षर क,ख,ग,घ से दर्शित है, पर जमींदारी विनाश के पूर्व से शपथकर्ता के पूर्वजों का हाता रहा है जिसमें शपथकर्ता के पूर्वज अपने खेती का सामान रखते व पशुओं को उक्त भूखण्ड पर बनी नांदो में चारा खिलाते और बांधते तथा खेती का सामान चारा–भूसा, पुयाल, लॉक और अन्य सम्बंधित वस्तुएं ढेर करते थे। जमींदारी विनाश के समय भी उपर्युक्त हाता वादी के पिता के एकमेव एवं अनन्य स्वामित्व एवं आधिपत्य में था और उक्त हाता तथा उसकी भूमि पर वादी के पिता श्री रघुराज सिंह उपर्युक्त खेती तथा पशुपालन से सम्बंधित कार्यों को करते रहे इस कारण जमींदारी विनाश के पश्चात् श्री रघुराज सिंह उक्त हाता एवं उसकी भूमि के अनन्य स्वामी एवं अधिकारी हो गये वादी के पिता आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व देहान्त हो गया तब से वादी उपर्युक्त हाता एवं उसकी भूमि पर एकमेव तथा अनन्य स्वामी एवं अधिकारी के नाते आधिपत्य में चला आ रहा है। वादी की आर्थिक स्थिति कुछ बिगड़ जाने के कारण आज से लगभग 13 वर्ष पूर्व उपर्युक्त हाता गिर कर मैदान हो या तब से वादी उपर्युक्त हाता की भूमि पर कृषि एवं पशुपालन से सम्बंधित उपर्युक्त विभिन्न कार्यों को करता हुआ एकमेव तथा अनन्य आधिपत्य में चला आ रहा है। प्रतिवादीजन दिनांक 07.07.1999 को अपराह्न लगभग 4 बजे उक्त भूखण्ड पर आये और उक्त भूखण्ड पर खूंटा गाड़कर अपनी भैंस बांधने का प्रयास किया जिससे वादी के तथा आस–पास के अन्य लोगों के तुरन्त मौके पर पहुंच जाने से नहीं कर सके तब प्रतिवादीजन ने धमकी दी कि वह शीघ्र ही अन्य लोगों को बुलाकर जबरदस्ती उपर्युक्त भूखण्ड पर कमरा बनाकर और दीवारों से घेर कर अपना आधिपत्य कायम कर लेंगे।

उपरोक्त के खण्डन में प्रतिवादी द्वारा मुख्यतः यह कथन किया गया है कि विवादित भूमि प्रतिवादीजन की पुश्तैनी जायदाद है जिससे वादी का कोई वास्ता व सरोकार हक व कब्जा न कभी रहा है और न है। विवादित भूमि चूंकि मकान वादी के सामने पड़ती है इसलिये वादी बदनियती एवं लालचवश अपने सहन में मिला लेना चाहता है और सरहंगी की बिना पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना चाहता है। विवादित भूमि पर पहले पूर्वज प्रतिवादीजन का पुराना कुंआ रहा है जो पट चुका है जिसकी खुदाई करने पर आज भी निशान मिल सकते हैं। दिनांक 13.09.1999 को वादी ने एक सुलहनामा किया था जिसके अनुसार विवादित भूमि के पश्चिम स्थित रास्ते के बाद वादी

ने अपनी दीवार बना ली है और प्रतिवादीजन ने विवादित भूमि पर अपनी घेरे की दीवारें बनाकर घेर लिया है। चूंकि प्रतिवादीजन विवादित भूमि के मालिक काबिज है और वादी की सहमति से निर्माण कार्य कर भी चुके हैं इसलिये किसी प्रकार के स्थगना का कोई सवाल पैदा नहीं होता है क्योंकि विवादित भूमि के किसी भाग पर वादी का कब्जा दखल नहीं है। दिनांक 13.09.1999 को वादी और प्रतिवादीजन के बीच हुए सुलह की लिखी–पढ़ी भी दिनांक 14.09.1999 को गवाहान के समक्ष हुई थी जिस पर बिना किसी जोर दबाव के स्वेच्छापूर्वक वादी ने हस्ताक्षर किया था। विवादित भूमि पर कभी तामीरात नहीं रही। पूर्वज प्रतिवादीजन बादहू प्रतिवादीजन उसे सहन के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं और करते हैं। विवादित भूमि पर प्रतिवादीजन का घूर लगाना, कन्डे पाथना, सामान धरना–उठाना आदि इस्तेमाल बराबर रहा है और है।

प्रतिवादीजन ने अपने कथनों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था ***KISHORSINH RATANSINH JADEJA versus MARUTI CORPORATION and others*** **Civil Appeal No. 2186-2187 of 2009** प्रस्तुत की जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि *"Respondant No. 1 obtained injunction order for not entering into the land and restraining them to alienate their land...Respondant No. 1 can be compensated in terms of money and no irreparable loss or injury would be caused to them if the injunction order is vacated-owners would suffer severe prejudice if the order in not vacated Balance of convenience and inconvenience against grant of such injunction."* तथा माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था ***Sonali Jain v. Samyak Jain and others*** **Matters Under Article 227 No. 6568 of 2023 dated 04.07.2023** प्रस्तुत की जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि *"Subordinate Courts found that plaintiff had not come with clean hands and had concealed fact that after execution of sale deed in her favour, property in dispute was transfered several times-Failure of plaintiff to make out prima facie case- Misrepresentation, concealment and suppression of facts from Court in order to extract unlawful advantage in abuse of process of Court and would also amount to fraud upon Court-Refusal to grant temporary injunction was proper."*

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी द्वारा अपने कथन के समर्थ में सूची ग–107 से वसीयतनामा दिनांकित 31.01.2008 की छायाप्रति, ग–117 छायाप्रति शपथ पत्र, छायाप्रति शपथ पत्र ग–119/1 ता 119/2, निर्णय छायाप्रति ग–120/1 ता ग–120/2, प्रमाणित प्रतिलिपि दावा ग–121/1 ता ग–121/5 तथा सूची ग–125 से दावा छायाप्रति ग– 126/1 ता ग–126/4, नकल छायाप्रति बयान ग–

127/1 ता ग–127/4, छायाप्रति खतौनी ग–128 तथा सूची ग–162 से ग–163/1 ता ग–163/5 नकल वसीयतनामा दिनांकित 26.06.2008 तथा ग–193 आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि ग–194/1 ता ग–194/2 दाखिल किये हैं। उभयपक्षों की प्रार्थना पत्र ग–6 पर बहस से एवं प्रतिवादीजन की आपत्ति की धारा 7 से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीजन द्वारा विवादित भूमि पर निर्माण कराया गया है जिसके सम्बंध में प्रतिवादीजन का कहना है कि उसने वादी की सहमति से विवादित भूखण्ड पर निर्माण कराया है। इसके अतिरिक्त कमीशन रिपोर्ट ग–19 से भी इस तथ्य को बल मिलता है।

अतः ऐसी स्थिति में जबकि विवादित सम्पत्ति को लेकर अस्पष्टता की स्थिति उत्पन्न हो। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में विवादित भूखण्ड को संरक्षित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है क्योंकि इस स्तर पर वादी का केस प्रथम दृष्टया साबित है। अतः तथ्य एवं परिस्थितियों, न्यायहित तथा अस्पष्टता को देखते हुए वादी की प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस स्तर पर उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर वादी का प्रथम दृष्टया वाद परिलक्षित होता है।

<u>सुविधा का सन्तुलन</u>

इस बिंदु में यह देखना होता है कि क्या निषेधाज्ञा का अनुतोष न देने पर वादी को अधिक तुलनात्मक असुविधा अथवा कठिनाई होगी वरन उसके जो उक्त अनुतोष दे देने पर प्रतिवादीजन को होगी, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***Dalpat Kumar Versus V. Prahlad Singh*** **(1992) 1 SCC 719** में अवधारित किया है–

> *"If on weighing competing possibilities or probabilities of likelihood of injury and if the Court considers that pending the suit, the subject-matter should be maintained in status quo, an injunction would be issued."*

इस स्तर पर पृथम दृष्टया वाद वादी के पक्ष में पाया गया है। ऐसे में सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में पाया जाता है।

<u>अपूरणीय क्षति</u>

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***Dalpat Kumar Versus V. Prahlad Singh*** **(1992) 1 SCC 719** में अवधारित किया है कि-

> *"The Court further has to satisfy that non-interference by the Court would result in "irreparable injury" to the party seeking relief and that there is no other remedy available to the party except one to grant injunction and he needs protection from the consequences of apprehended injury or dispossession. Irreparable injury, however, does not mean that there must be no physical possibility of repairing the injury, but means only that the injury must be a material one,*

namely one that cannot be adequately compensated by way of damages."

अतः, वाद के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों तथा उपरोक्त विश्लेषण के अलोक में, इस स्तर पर प्रार्थना पत्र ग–6 निम्न आशय से स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र ग–6 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। उभय पक्षों को आदेशित किया जाता है कि दौरान मुकदमा वे विवादित भूखण्ड जिसे संलग्न नक्शा नजरी में अक्षर क, ख, ग, घ से प्रदर्शित किया गया है, के बाबत यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य दिनांक 01.07.2025 को पेश हो।

(डॉ० प्रीति भास्कर)

सिविल जज (जू०डि०), रामसनेहीघाट,

न्यायालय संख्या –14, बाराबंकी।